भारत सरकार
उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्याः 2921
उत्तर देने की तारीख 06 अगस्त, 2025 (बुधवार)
15 श्रावण, 1947 (शक)
प्रश्न
बांस किसानों को पूर्वोत्तर में लाभ

2921. श्री दिलीप शइकीयाः

क्या **उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) पूर्वोत्तर में स्थानीय बांस किसानों और कारीगरों के लिए उचित मूल्य और लाभ सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
(ख) क्या अंतर्राष्ट्रीय निर्यात आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गुणवत्ता मानकों और प्रमाणन प्रक्रियाओं को लागू किया जा रहा है;
(ग) क्या सरकार शहरी आवास और वाणिज्यिक परियोजनाओं में बांस आधारित फर्नीचर को बड़े पैमाने पर अपनाने को बढ़ावा देने के लिए किसी नीतिगत उपाय पर विचार कर रही है; और
(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) बांस क्षेत्र का विकास, जिसमें स्थानीय बांस किसानों और कारीगरों को उचित मूल्य और लाभ सुनिश्चित करना शामिल है, मुख्य रूप से राज्य सरकारों का दायित्व है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार, राष्ट्रीय बांस मिशन (एनबीएम) बांस उत्पादकों को कारीगरों और उपभोक्ताओं से जोड़कर बांस मूल्य श्रृंखला का विकास करने के राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ाता है। यह विशेष रूप से भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में बांस की खेती, बांस आधारित उद्योगों, मूल्य संवर्धन, बांस और उसके उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देता है। एनबीएम के अंतर्गत बांस बाजार, खुदरा दुकानें आदि स्थापित करने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को सहायता प्रदान करके बांस बाजार के लिए अवसंरचना के संवर्धन और विकास हेतु प्रावधान किया गया है।

(ख) से (घ) भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने गुणवत्ता संबंधी निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार बांस के विभिन्न उत्पादों जैसे बांस मैट बोर्ड, पैनल, नालीदार शीट्स, कंपोजिट्स आदि की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कई मानक शुरू किए हैं ताकि उन्हें व्यापक रूप से अपनाए जाने को सुसाध्य बनाया जा सके। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने कई हितधारकों और संभावित भागीदारों के साथ परामर्श किया है ताकि बांस उत्पादक और कारीगर निर्यात के लिए आवश्यक विभिन्न मानकों को पूरा करने में सक्षम हो सकें।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय अपनी एजेंसियों के माध्यम से बांस आधारित नवाचारी निर्माण सामग्री के उपयोग को प्रोत्साहित कर रहा है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) ने बांस के

अभियांत्रिक उत्पादों को मानक दरों और विनिर्देशों की अपनी अनुसूची में शामिल किया है। उल्लेखनीय है कि "बांस की लकड़ी→ की मिश्रित सामग्री को शामिल करने के लिए वर्ष 2017 में सीपीडब्ल्यूडी की दिल्ली दर अनुसूची में संशोधन किया गया था।

हाल ही में, असम मंत्रिमंडल ने लोक निर्माण विभाग की दर अनुसूची में बांस की अभियांत्रिक मिश्रित सामग्री को शामिल करने की मंज़ूरी दी है, जिससे नए सार्वजनिक भवनों के निर्माण में कम से कम 5% बांस आधारित सामग्री का उपयोग करना अधिदेशित किया गया है। इस पहल का उद्देश्य बांस उद्योग को बढ़ावा देना, स्थानीय उत्पादकों के लिए आर्थिक अवसर पैदा करना और टिकाऊ निर्माण पद्धतियों को प्रोत्साहित करना है।

*****